डॉ0

[9/2/2024] (5)

प्रश्न सं. [क्र. 735]

परिशिष्ट "अ"

तारांकित प्रशन क्रमांक – 735
द्वारा – माननीय डॉ सीतासरन शर्मा

थाना माखननगर (पूर्व में थाना बाबई) जिला नर्मदापुरम में दिनांक 03.12.2023 को प्रकरण कमांक 587/23 धारा 294,307,302,34 भादवि में घटना के आरोपियों में ज्ञान सिंह पिता देवीराम कीर निवासी जासलपुर, का भी उल्लेख है। दर्ज प्रकरण के अनुसार दिनांक 02.12.2023 के सायं करीबन 18.00 बजे से 18.15 बजे के मध्य का है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
वल्लभ भवन, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

(5)

परिशिष्ट "ब"

तारांकित प्रशन क्रमांक – 735

द्वारा – माननीय डॉ सीतासरन शर्मा

थाना माखननगर (पूर्व में थाना बाबई) जिला नर्मदापुरम के प्रकरण क्रं. 587/23 धारा 294,307,302,34 भादवि के आरोपी ज्ञान सिंह के घटना के समय कविता ट्रेडर्स नर्मदापुरम में होने के संबंध में आवेदक राम सिंह कीर द्वारा आवेदन पत्र मय पैन ड्राईव पुलिस अधीक्षक को दिया था तथा कलेक्टर एवं पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम को आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे, जिसमें पैन ड्राईव नही थी। पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत शिकायत पत्र की जाँच थाना माखन नगर के उनि. हेमंत निशोद द्वारा की गई है। जाँच के दौरान आवेदक राम सिंह कीर के कथन लेख किये गये व संलग्न पैन ड्राईव को आवेदक के समक्ष चैक करने पर कोई सी.सी.टी.व्ही. फुटेज होना नहीं पाया गया है, पुलिस अधीक्षक को दिये उक्त आवेदन व दिनांक 02.01.2024 को कलेक्टर नर्मदापुरम को प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दिनांक 29.12.2023 को पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम को प्रस्तुत आवेदन पत्र की जाँच अति. पुलिस अधीक्षक जिला नर्मदापुरम के द्वारा की जा रही है ।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल

28.1
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

(6)

परिशिष्ट "स"

तारांकित प्रशन क्रमांक – 735
द्वारा – माननीय डॉ सीतासरन शर्मा

आवेदक राम सिंह कीर द्वारा आर.टी.आई के अन्तर्गत दिनांक 02.12.2023 का सोनी सिंह निमोदा की इन्द्रा चौक का सी.सी. टी.व्ही. फुटेज चाही गयी थी। सी.सी.टी.व्ही. सिस्टम में स्टोरेज 30 दिवस का है । जिसके पश्चात फुटेज ओवर राईट होकर उसी स्टोरेज पर नया फुटेज रिकार्ड हो जाता है । चूंकि चाहे गये फुटेज को 30 दिवस से अधिक हो गये थे, अतः फुटेज स्वतः डिलेट हो गया । उक्त कारणों से फुटेज उपलब्ध नहीं कराये गये ।

आर.टी.आई. आवेदन में चाहे गये मोबाईल नं. 9340310569 की लोकेशन की जानकारी कार्यालय के अभिलेख में संधारित नहीं किये जाने के कारण एवं सेवा प्रदाता कम्पनी का रिकार्ड नहीं होने से प्रदाय नहीं किये गये । इस संबंध में आवेदक राम सिंह को लोक सूचना अधिकारी नर्मदापुरम के द्वारा पत्र के माध्यम से दिनांक 08.01.2024 को सूचित किया गया है ।

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
वल्लभ भवन, भोपाल

Scanned with CamScanner